

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

राष्ट्रीय लोक अदालत 04/06/2015

भरत पुत्र जगन्या जाति जाट निवासी ग्राम जाखोदा उप तहसील बहरावंडाकलां
बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बहरावंडाकलां

कैसम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू-राजस्व अधि.1956 अपील संख्या 318/14

15	<p>हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट भरत पुत्र जगन्या जाति जाट निवासी ग्राम जाखोदा उप तहसील बहरावंडाकला उपस्थित हुए।</p> <p>अपीलाण्ट अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने बहस में बताया कि न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का नोटिस नहीं दिया है न ही प्रोपर तामील हुयी है। अपीलार्थी को बिना सुने व मोके स्थिति का निरीक्षण किये बगैर व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।</p> <p>अपीलाण्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने ग्राम बागोरा के आराजी खसरा नम्बर 956/333 रकबा 2.00 बीघा गै0मु0बे.(बा.2) भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में भी अतिक्रमण नहीं करूंगा तथा अपीलाण्ट द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण चाहा है।</p> <p>नायब तहसीलदार, बहरावण्डाकलां के प्रकरण संख्या 698/12 निर्णय दिनांक 27/02/12 की अपील आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट ने भौतिक रूप से कब्जा हटाने को कहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बहरावण्डाकलां में शपथ पत्र पेश करने बाबत निवेदन किया है। अतः इस संबंध में अपीलाण्ट नायब तहसीलदार, बहरावण्डाकलां के समक्ष अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र पेश करें तथा नायब तहसीलदार मोके पर अतिक्रमण की अवस्थिति के संबंध में भौतिक रूप से जाँच करावें। यदि अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है तथा यदि अतिक्रमण नहीं हटाया हो तो सिविल कारावास की सजा का दण्ड यथावत समझा जावें। अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश यथावत रखा जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 04/06/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>
----	--

(Handwritten signature)
तहसीलदार

(Handwritten signature)
(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर